संख्या-443/2017/436/22-2-2017-17(112)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामचन्द्र गुप्ता उर्फ चन्दू पुत्र श्री गंगा दयाल निवासी जनपद-कन्नौज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामचन्द्र गुप्ता उर्फ चन्दू पुत्र श्री गंगा दयाल, निवासी-कचेहरी टोला, थाना व जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 22.03.2005 को 05 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-190/2005 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 302 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कन्नौज के आदेश दिनांक 16.02.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त जमानत पर कारागार से बाहर हैं, 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं तथा 01 अन्य सहअभियुक्त इस कारागार में दाखिल नहीं हुआ है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.04.2016 तक 03 वर्ष 06 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 06 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामचन्द्र गुप्ता उर्फ चन्दू (बन्दी संख्या-26090) पुत्र श्री गंगा दयाल निवासी जनपद-कन्नौज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-443/2017/436/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in